बालश्रम एवं मानवाधिकार

शोधपत्र-समाजशास्त्र

* श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ. दुर्गा वाजपेयी

बाल श्रम एक विकराल समस्या है, जिसका सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में करीब 10 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। विश्व के कुल बाल श्रमिकों का 50 प्रतिशत भारत, बाग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एवं श्रीलंका में है। वर्ष 1994 के अमेरिकी श्रम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों का 1/4 हिस्सा भारत में है। जिन देशों में गरीबी और जनसंख्या वृद्वि की दर अधिक होती है वहां बाल श्रमिकों का होना स्वाभाविक है।

भारत में प्रमुख राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या

क्र.	राज्य	बाल श्रमिको की संख्या (लाख में) (5 से 14 आयु के सन् 2001 के आंकड़े)
1	उत्तरप्रदेश	19.0
2	आंध्रप्रदेश	13.6
3	राजस्थान	12.6
4	बिहार	11.0
5	मध्यप्रदेश	10.60
6	पश्चिम बंगाल	8.57
7	तमिलनाडु	4.18
8	झारखण्ड	4.07
9	उड़ीसा	3.77
10	छत्तीसगढ़	3.64

भारत सरकार ने दिसम्बर, 1992. में बाल अधिकार समझौते का अनुमोदन कर उसके तहत् बच्चों के विक्रय व्यापार, यौन शोषण पर पाबंदी लगायी है किन्तु इस अधिकार के बावजूद आज बच्चें कुपोशण घातक बिमारियों श्रम शोषण, शारीरिक व्यापार, उपेक्षा लैंगिक दुर्व्यव्हार और मादक पदार्थो का सेवन के शिकार हो जाते है । अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने सन् 1919. में बाल श्रमिक की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की 1922 में से 15 वर्ष 1923 में इंडियन साइंस एक्ट के अनुसार तेरह वर्ष कर दिया गया। भारत मे न्यूनतम 14 वर्ष आयु के बालक बाल श्रमिक कहलाते है, जबकि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इनकी आयु 18 वर्ष तक की गई है ।

बच्चों के लिए सवैधानिक प्रावधान–01. अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध। 02. अनुच्छेद 39 (ङ) –बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकुल न हों । 39 (च)–बालक की शोषण से रक्षा । 03. अनुच्छेद 46–14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।

बाल श्रमिक संबंधी प्रमुख अधिनियम

1901 –खदान अधिनियम संशोधित 1935, 1952
1911 –फैक्ट्री अधिनियम संशोधित 1926, 1934, 1948
1923– भारतीय खाद्य अधिनियम
1931–भारतीय बंदरगाह संशोधित अधिनियम
1932–चाय बागान मजदूर अधिनियम
1933–बाल बंधुआ श्रम अधिनियम
1938–बाल रोजगार अधिनियम संशोधित 1951, 1978

* विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, (छ.ग)

1951–बाल श्रमिक अधिनियम संशोधित 1986

1958–व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम

1961–मोटर ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम

1966–बीड़ी और सिगार मजदूर अधिनियम

2006–बाल श्रम अधिनियम– जिसके द्वारा रेस्टोरेंट, हॉटलों चाय की दुकानों, रिसोर्टस, हेल्थ क्लबों घरेलु काम और रिक्रियशन सेंटरों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता अन्यथा नियोजक को 1 साल तक की कैद एवं बीस हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद भी आज लगभग 6 करोड़ बच्चें संकटापन उद्योग में काम कर रहे है। जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष है वैसे तो बाल श्रमिक अर्थ व्यवस्था के हर क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में करीब 80 प्रतिशत से भी अधिक बाल श्रमिक जुड़े है। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अशिक्षित और बाल श्रमिकों का सबसे बड़ा देश भारत ही है यहॉ बाल श्रमिक के दो रूप पाये गये हैः–1.असंगठित क्षेत्र–होटल, ढाबा, फैक्ट्री, दुकान, आटो वर्कशाप, अखबार बेचना, कोयला अभ्रक चुनना, कचरा चुनना, खेती बाड़ी, घर में नौकर का काम आदि। 2. संगठित क्षेत्र–कालीन बुनाई, दियासलाई, आति शबाजी हाथरघा, चमड़ा, कॉच, भवन निर्माण, पत्थर खदान, रत्न उद्योग, ताला उद्योग आदि। पत्थर खदान, रत्न उद्योग, ताला उद्योग आदि । भारत में कुछ उद्योग ऐसे है जहॉ बड़ी संख्या में बाल मजदूर अत्यंत दयनीय परिस्थितियों मे कार्यरत् है जो उनके स्वास्थ्य पर बेहद प्रतिकुल प्रभाव डाल रही है जैसेः–

01. माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग शिवकाशी (तमिलनाडु) लगभग 50 से 80 हजार बाल श्रमिक कार्यरत्। 02. पत्थर खनन उद्योग (आंध्रप्रदेश) लगभग 20 हजार बाल श्रमिक 03. मत्स्य पालन उद्योग (केरल) लगभग 20 हजार बाल श्रमिक 04. हाथकरधा उद्योग (तिरूअनंतपुरम एवं तिरूपुर) लगभग 10 हजार बाल श्रमिक 05. बीड़ी उद्योग (केरल एवं तमिलनाडु) लगभग 7 हजार बाल श्रमिक 06. ताला उद्योग (अलीगढ़) 7 से 10 हजार बाल श्रमिक 07. कालीन उद्योग (मिर्जापुर) भटोही (उत्तरप्रदेश) 1 से 1.1/2 लाख बाल श्रमिक 08.कॉच उद्योग (फिरोजाबाद) 50 हजार बाल श्रमिक।

श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक है। इस प्रकार के बाल श्रमिकों को श्रम के महत्व तथा श्रम कानूनों की कोई जानकारी न होने के कारण वे सदैव अपने मालिकों के कठोर नियंत्रण में रहते है। बाल मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार के हड़ताल यूनियन बाजी का कोई खतरा नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बच्चों पर हो रहे अत्याचार के आंकड़े पेश किए है जिसके अनुसार हर साल करीब 11 हजार बच्चे अपने घरों से लापता हो जाते है और कभी नहीं लौटते । इन बच्चों को देह व्यापार, भिक्षाटन, चोरी जैसे कामों में लगा दिया जाता है। पिछले दिनों यह खबर आयी थी कि भारत कुठित यौनेच्छा वाले विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। गोवा के समुद्र तट से लेकर केरल के कॉटेज और बड़े होटलों तक में विदेशी पर्यटकों की मालिश के नाम पर छोटे बच्चे–बच्चियों को उनके सामने पेश किया जाता है । ये बच्चे अंततः उनकी कुंठित यौनेच्छाओं की तुष्टि का साधन बनते है। बच्चों के लापता होने का एक अहम पहलू है, बाल मजदूरी ये बच्चे पठाखे, कालीन बनाने और मोटर गैराज, घरों, होटलों व फैक्ट्रियों तक में तरह–तरह के काम में लगे है। गरीबी और हालात के मारे परिवारों से आये बच्चों को अपेक्षाकृत सुरक्षित काम में लगाया जाता है लेकिन चोरी–तस्करी के द्वारा लाये जाने वाले बच्चे खतरनाक कामों में लागाये जाते है।

वास्तव में बाल मजदूरी से तो गरीबी के दुष्चक्र को और गति मिल सकती, क्योंकि बाल मजदूर जन बड़ा होगा तो अकुशल और कम वेतन वाली मजदूरी में ही फंसा रहेगा। इसमें दो राय नहीं कि गरीबी को धीरे–धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। आर्थिक वृद्वि, रोजगार के अवसरों में वृद्वि, निवेश, आय का बेहतर वितरण, विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, सरकारी बजट में बेहतर आबंटन और सहायता प्रवाह के बेहतर प्रबंध द्वारा गरीबी में कमी लाई जाए तो निष्चय ही बाल मजदूरों की संख्या में कमी आयेगी । बाल मजदूरों को मुक्त कराने के बाद उनके उनके पुर्नवास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । धनी और निर्धन सभी देशों में बच्चों को काम से नुकसान हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए जरूरत यह देखने की है कि वे क्या और कैसा काम कर रहे है। जैसे औद्योगिक देशों में अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से पहले एक या दो घंटे तक अखबार बांटने का काम करता है तो बहुत लोग उसे बाल श्रमिक की संज्ञा देगें हालांकि यह भी सच है कि उस कार्य के लिए बच्चे को बड़ों के मुकाबले कहीं कम राशि दी जाएगी । अगस्त, 1996. में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन '' सार्क '' के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सदस्य देशों ने वचन दिया कि सन् 2000 तक बंधवा मजदूरी समाप्त कर दी जायेगी और 2010 तक बाल मजदूरी का कलंक पूरी तरह मिटा दिया जाएगा।

बालकों के अधिकारों की घोषणा

सिद्धांत 1 : बालक इस घाषणा में निर्धारित अधिकारों का उपभोग करेगे। कोई भी बालक प्रजाति रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, मत राष्ट्रीय या सामजिक मूल, संपत्ति, जन्म व संस्तर के भेदभाव के बिना इन अधिकारों का हकदार होगा। सिद्धांत 2 : सभी बालक शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास, स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा व अवसर के अधिकारी होगें। इन संबंध में कानून बनाते समय बालक के हितों को ध्यान में रखा जाएगा । सिद्धांत 3 : बालक अपने जन्म से ही अपने नाम और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा। सिद्धांत 4 : बालक को सामजिक सुरक्षा का अधिकार होगा उसे और उसकी माता को स्वास्थ्य, देखरेख व सुरक्षा का अधिकार जन्म से पूर्व व जन्म के बाद होगा । बालक को उचित पोषण, मकान मनोरंजन व चिकित्सा का अधिकार होगा । सिद्धांत 5 : मानसिक व शारिरीक रूप से विकलांग (Handicapped) बच्चों को विषेश उपचार देख–रेख व शिक्षा दी जाएगी ।

सिद्धांत 6 : अपने पूर्ण व संतुलित विकास के लिए बच्चे को प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता है। छोटी आयु का बच्चा मॉ से अलग नहीं किया जावेगा। बिना परिवार व सहारे वाले बच्चों को लोक प्राधिकारियों द्वारा देख–रेख प्रदान की जायेगी । बड़ी परिवार वाले बच्चों को राज्य द्वारा सहायता दिया जाना भी इच्छित है । सिद्धांत 7 : बालको को कम से कम प्राथमिक स्तर तक, मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को समान रूप से ऐसी शिक्षा दी जायेगी जो उनकी सभ्यता का विकास करें, योग्यता का विकास करें, उसके सामाजिक व नैतिक दायित्वों की समझ का पूर्ण विकास करें । बच्चें की शिक्षा का पहला दायित्व माता–पिता पर होगा। सिद्धांत 8 : सभी स्थितियों में बच्चें को सुरक्षा और राहत पहले पहुंचाई जायेगी। सिद्धांत 9 : बच्चे की उपेक्षा, क्रूरता के विरूद्ध सुरक्षा की जायेगी। किसी भी रूप में उनका परिवहन (Traffic) नहीं किया जायेगा। बच्चे को एक न्यूनतम आयु से पूर्व रोजगार में नहीं लगाया जायेगा। उसे किसी भी हालत में ऐसे रोजगार में लगाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी, जो उसके स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रतिकुल हो और उसके शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास के विपरीत हो सिद्धांत 10 : बच्चे की प्रजातीय, धार्मिक व अन्य प्रकार के भेदभाव से रक्षा की जायेगी। बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में केन्द्र सरकार ने बच्चों की परिभाषा में एकरूपता लाने की तैयारी कर ली है। इस नई परिभाषा के तहत् 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लड़के लड़कियों को बच्चों की श्रेणी में रखा जायेगा क्योंकि बच्चों की अलग–अलग परिभाषा के कारण बाल संरक्षण योजनाओं का वांछित लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है इससे देश की 42 प्रतिशत आबादी (जो 18 वर्ष से कम है) को लाभ मिलेगा इसके कारण निम्न कानूनों में बदलाव लाना होगा । बाल श्रम अधिनियम, फैक्ट्रीस एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द प्लांटेशन लेबर 1951, द मर्चेट शिपिंग एक्ट 1958, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, बीड़ी व सिगार कामगार अधिनियम 1966 बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956

10 दिसम्बर, 1996 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये ऐतिहासिक निर्णय में न केवल जोखिम भरे उद्योग से बाल श्रमिको को हटाने की बात कही गयी हैं बल्कि काम से हटाये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास का तरीका भी सुझाया गया है। 1997 से देश के 250 जिलों में बाल श्रमिक परियोजना संचालित है जिसमें अब तक सरकार 3 करोड़ 11 हजार की राशि खर्च कर चुकी है। अधिनियम चाहे जितना भी बन जाये उनका पालन करना हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में गरीबी, अर्थिक, विषमता, अशिक्षा जैसे बुनीयादी समस्याओं को दूर किये बिना बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन असंभव है लेकिन उन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है तथा उनके परिणामस्वरूप बाल श्रमिक की संख्या में एक सकारात्मक कमी आ सकती है। गहन सर्वेक्षण जन जागरण बाल शिक्षा आर्थिक नियोजन, गैर सरकारी तबकों का सहयोग बाल श्रम कानूनों का त्वरित एवं सही पालन तथा न्यायिक सक्रियता द्वारा कल कोई बच्चा हाथ फैलाये न खड़ा होगा ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कूजूर निस्तार : बालश्रम एक अभिशाप छत्तीसगढ़ इकोनामिक एसोसियेशन सेकंड एमुअल कांफेस, नवम्बर 18–20, 2006. पृ0 11 रायपुर (पंडित रविषंकर विश्व विद्यालय रायपुर छ.ग.) 02. डॉ0 गौतम सुशील कुमार :–बालश्रम उन्मूलन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास पृ0 25,26 कुरूक्षेत्र नवम्बर, 2007. 03. श्रीमती साहू पूर्णिमा :–बालश्रम शोषण एवं मानवाधिकार एक चिंतन पृ0 380–381 छत्तीसगढ़ में मानव अधिकारी संपादक डॉ0 अंबिका प्रसाद वर्मा, डॉ0 छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जॉजगीर (छ0ग0) 04. श्रीवास्तव मनीश कुमार :–पृ0 17 एवं 19 कुरूक्षेत्र नवम्बर, 2007. (बालश्रमिक एक सामाजिक अभिशाप) 05. कुमार वीरेन्द्र :–ग्रामीण बाल श्रमिकों का बढ़ता शोषण पृ0 11 कुरूक्षेत्र नवम्बर, 2007. 06. बाल श्रम एवं मानवाधिकार :–डॉ0 उदय शंकर श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार संपादक डॉ0 अंबिका । पृ 0 382 07. (योजना मई 1199) बाल मजदूरीः– उन्मूलन श्रम और सच्चाई, सतीश कुमार शर्मा पृ0 42 भारत सरकार सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय, योजना भवन, सांसद मार्ग नई दिल्ली । 08. दैनिक भास्कर 07 जनवरी, 2006 10, 29.03.2006. एवं 29.12.2007.